बिहार सरकार

बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण

(योजना एवं विकास विभाग)

आ०स०– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 190 /पटना, दिनाक– 15 अप्रैल, 2019

आदेश

बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण आदेश सख्या–174, 175 दिनाक 29.03.2019 के आलोक मे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अतर्गत माननीय विधान मडल सदस्यो की अनुशसा पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियत्रण संगठन के कार्य प्रमडलों के कार्यपालक अभियताओं को उनके पदनाम के सम्मुख अंकित राशि निम्न विवरणी के अनुसार पजाब नेशनल बैंक, बुद्धा कॉलानी, पटना द्वारा निर्गत बैक ड्राफ्ट के माध्यम से आवंटित किया जाता है:–

(राशि रू0 लाख में)

क्रम	कार्यप्रमंडल का नाम	सामान्य मद	SCP की राशि	ST की राशि	कुल आवंटित राशि	बैंक ड्राफ्ट सं0	दिनांक	वित्तीय वर्ष / योजना का नाम जिसके लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सगठन, कार्य प्रमण्डल–1, शिवहर।	33.20	6.40	0 40	**40.00**	238976	08.04.2019	**2017-18**
2	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियत्रण सगठन, कार्य प्रमण्डल–1, जमुई।	360.00	0 00	0.00	**360.00**	238975	08 04 2019	**2017-18**
कुल योग		**393.20**	**6.40**	**0.40**	**400.00**			

शर्ते:–

(1) राशि का व्यय आदर्श आचार संहिता, 2019 के खण्ड–(5) के कंडिका–5.5.2 में वर्णित शर्तो के अधीन किया जाय।

(2) मुख्यमत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष जिसके लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है उसी वित्तीय वर्ष की स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन पर ही स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के उक्त सभी कार्य प्रमडलो के कार्यपालक अभियता आवटित राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेगे।

(3) इस आवटित राशि का व्यय पूर्व के वर्षो मे स्वीकृत योजनाओ के कार्यान्वयन पर नही करेगे। यदि वर्ष 2011–12 से 13–14 तक के वित्तीय सपोषण हेतु प्राप्त राशि का व्यय वर्ष 2015–16 की योजनाओ पर किया गया है,तो उस राशि का समायोजन वर्ष 2015–16 की आवटित राशि मे से अवश्य कर लिया जाएगा।

(4) आवटित राशि का विचलन करने की शिकायत प्राप्त होने पर सबधित कार्य प्रमडल के कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(5) वित्तीय वर्ष की स्वीकृत योजनाओ के कार्यान्वयन के लिए आवंटित सपूर्ण राशि का व्यय करते हुए सभी योजनाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष मे ही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगे।

(6) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् वर्ष 2011–12 से 2018–19 तक आवंटित राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रपत्र BTC-27C एवं 27C1 ,में तैयार कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(7).उपर्युक्त विवरणी के अनुसार उपलब्ध करायी जा रही राशि का व्यय योजना एव विकास विभाग के पत्राक–2637 दिनांक–04 06 2015 के द्वारा निर्गत दिशानिदेश के अनुसार माननीय विधान मण्डल सदस्यों की अनुमान्यता के आलोक में करना सुनिश्चित करेगे।

(8). उक्त आवटन अभिकरण आदेश सख्या–174, 175 दिनाक 29 03 2019 क आलोक मे किया जा रहा है। अतः व्यय उक्त आदेश के अनुरूप ही किया जाय।

(9).वित्तीय वर्ष 2015–16 की योजनाओं के कार्यन्वयन पर पूर्व वर्ष की राशि का व्यय करने की स्थिति में इसका सामायोजन इन दोनों वित्तीय वर्षों के लिए राशि उपलब्ध होने पर उनसे करना सुनिश्चित करेंगे।

(10). आवंटित की जा रही राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराई जाय।

(11) राशि अव्यवहृत रहने पर उक्त राशि चेक के माध्यम से ब्लाडा को वापस करेंगे।

(12) व्यय राशि का विधानमण्डल सदस्यवार प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक ब्लाडा को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगे।

(13) उपलब्ध करायी गयी राशि का 75 प्रतिशत से कम उपयोगिता प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अगला आवटन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

(14) उक्त आवंटित राशि को नियमानुसार संबंधित कोषागार में ही जमा किया जाना है।

(15) इस आवटित राशि का व्यय प्रासगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली मे निहित प्रावधानो तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो का दृढतापूर्वक पालन करते हुए किया जाये।

(दीपक कुमार)	(सुधीर कुमार)	(प्रमोद कुमार वर्मा)
योजना सहायक	उप महाप्रबंधक–सह–मुख्य लेखा पदाधिकारी (वित्त)	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 190 / पटना, दिनांक– 15 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि– संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सगठन, कार्य प्रमण्डल–1 एवं 2 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 190 / पटना, दिनांक– 15 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि– सबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/ संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियत्रण सगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/ सबंधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/ संबंधित अधीक्षण अभियता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सगठन, बिहार/ सबधित जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 190 / पटना, दिनांक–15 अप्रैल 2019

प्रतिलिपि–सचिव, के आप्त सचिव, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 190 / पटना, दिनाक– 15 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि– माननीय मत्री योजना एवं विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापाक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 190 / पटना, दिनाक–15 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग,बिहार, पटना/संबंधित सहायक, योजना शाखा, ब्लाडा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।/श्री सुदामा कुमार,आई टी मैनेजर,योजना एवं विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी